गुड्डी बाई बनाम साधू सिंह आदि
प्रकरण संख्या 23 सन् 2017, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

मिल कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2025	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 10 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/88 के मुरब्बा नम्बर 26 की 6.199 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 64/20 की कुल 0.126 हैक्टेयर खाला कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से गुड्डी बाई पुत्री बिशन सिंह के 0.527 हैक्टेयर हिस्सा भूमि की अपील के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 10.10.2016 को निरस्त किए जाने का दीवानी वादपत्र सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 10.10.2016 के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 588 दिनांक 05.11.2016 जो सही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज योग्य हैं। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। अतः प्रार्थी/अपीलांट प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)